न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– **सत्यनारायण टेलर,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1–समेकित क्लेम आवेदन सं0 :– 17/2023

(सी0आई0एस0 नं0 17/2023 एवं सी0एन0आर0 नं0 RJBR01000465–2023)

1– साहबलाल मीणा पुत्र लच्छीराम आयु 55 वर्ष,

2– मेवा बाई पत्नि साहबलाल मीणा आयु 52 वर्ष,

3– अजय कुमार मीणा पुत्र साहबलाल मीणा आयु 23 वर्ष

निवासीगण वार्ड सं0 3, खटीकों का मौहल्ला, महुवा भटवाड़ा जिला बारां (राज0) – प्रार्थीगण

2–समेकित क्लेम आवेदन सं0 :– 18/2023

हेमन्त मीणा पुत्र अमरलाल मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम माथना जिला बारां (राज0) – प्रार्थी/घायल

:: बनाम ::

1– हनुमान लाल जाट पुत्र मदनलाल जाट उम्र 31 वर्ष निवासी जाटों का मौहल्ला, सलावता, श्रीरामपुर थाना नारायण, जयपुर जिला जयपुर (राज0) पिन– 303348 – चालक वाहन सं0 आरजे.14 जीबी 9551

2– श्रवणलाल जाट पुत्र मदनलाल जाट उम्र 40 वर्ष निवासी जाटों का मौहल्ला, सलावता, श्रीरामपुर थाना नारायण जयपुर जिला जयपुर (राज0) –रजि0 स्वामी वाहन सं0 आरजे.14 जीबी 9551

3– नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 जरिये मण्डल कार्यालय, कोटा (राज0) –बीमा कम्पनी वाहन सं0 आरजे.14 जीबी 9551

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री प्रदीप गुप्ता एवं श्री बृजेश नागर, अधिवक्ता–प्रार्थीगण दोनों क्लेम,

2– श्री कृष्णकान्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।

3– श्री बालमुकुन्द खण्डेलवाल, अधिवक्ता–अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी

:: निर्णय :: दिनांकः 25.03.2026

1– क्लेम आवेदन संख्या 17/2023 के प्रार्थीगण साहबलाल, मेवाबाई व अजय कुमार मीणा द्वारा नरेन्द्र कुमार मीणा की मृत्यु होने व क्लेम आवेदन सं0 18/2023 के प्रार्थी/घायल हेमन्त मीणा की ओर से ये क्लेम प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध

मोटरवाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः 1,00,77,028/—रूपये एवं 26,36,160/—रूपये प्राप्त करने के लिये इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। ये दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र एक ही दुर्घटना से संबन्धित होने के कारण इनका निस्तारण इस निर्णय के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2— उक्त दोनों क्लेम आवेदनों के जरिये दिनांक 20.11.2021 को क्लेम आवेदन सं0 17/2023 में नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र साहबलाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के लिये तथा क्लेम आवेदन सं0 18/2023 में हेमन्त मीणा पुत्र अमरलाल के आयी चोटों के लिये, क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3— उक्त दोनों क्लेम प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यानुसार दिनांक 20.11.2021 को नरेन्द्र कुमार मीणा मृतक व हेमन्त/घायल रात्रि के लगभग 11 बजे प्रार्थी/घायल हेमन्त की मोटरसाईकिल नं0 आर.जे.28 एस.वाई. 5111 से सुन्दलक से अन्ता जा रहे थे तब रास्ते में नेशनल हाईवे नं0 27 पर एस.के.जी. फेक्ट्री के सामने पहुंचे तो एक ट्रोला रजि0 नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 का चालक एकदम गलत दिशा में से अर्थात ट्रोले को कोटा से बारां जाने वाली सड़क के डिवाईडर के उपर से पार करके बारां से कोटा जाने वाली सड़क पर ट्रोला ले आया और मृतक व घायल की मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कारित दुर्घटना में नरेन्द्र कुमार मीणा की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा प्रार्थी/घायल हेमन्त मीणा के सिर व शरीर में गंभीर चोटें कारित हुई। उक्त दुर्घटना ट्रोला नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 के चालक की अत्यधिक तेजगति, गफलत व लापरवाही के कारण घटित हुई है।

4— उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.) में प्रथम सूचना सं0 269/2021 दर्ज हुई तथा बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304(ए) भा0दं0सं0 में तथा अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 66/192ए मोटरयान अधिनियम में आरोपपत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5— वक्त दुर्घटना क्लेम आवेदन सं0 17/2023 में मृतक नरेन्द्र कुमार मीणा की आयु 27 वर्ष थी, जो अविवाहित था तथा मुम्बई की एक फाईनेनिशियल प्लानर कंपनी में FOS-PL के पद पर कार्यरत था, जिसका शाखा कार्यालय घोड़े वाले बाबा चौराहा, कोटा पर स्थित है, जिस कार्य से मृतक को 11,293/—रूपये प्रतिमाह मिलते थे। मुंबई में इस कंपनी का एक अन्य कार्यालय B-5 मनोज इण्डस्ट्रीयल

एस्टेट, 40-A, G.D. अंबेडकर रोड़ वडाला, मुम्बई में स्थित है। मृतक उक्त कंपनी के माध्यम से समाज के लोगों को बैंकों से लोन दिलवाने का कार्य करता था। मृतक अपने प्रत्येक क्षैत्र में धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। मृतक की उक्त दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती तो वह निश्चित रूप से आगामी कुछ वर्षो में 1,00,000/–रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित कर लेता। मृतक ने शिक्षा के क्षैत्र में एवं अन्य क्षैत्रों में काफी डिग्रियां प्राप्त कर रखी थी। मृतक के माता–पिता का पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। प्रार्थीगण में मृतक के माता–पिता व भाई हैं, जो नरेन्द्र कुमार मीणा की मृत्यु होने के कारण उसकी आय व उसके प्रेम–वात्सल्य से वंचित हुये हैं।

6– क्लेम आवेदन सं0 18/2023 के प्रार्थी/घायल हेमन्त की दुर्घटना के समय आयु 25 वर्ष की थी, जो अविवाहित था तथा भाटिया एण्ड कंपनी बारां जिला बारां में M.G.A. के पद पर कार्यरत था, जिससे उसको 14,360/–रूपये वेतन मिला था तथा इनसेन्टिव अलग से मिलता था। प्रार्थी/घायल का परिवार उसकी आय पर आश्रित था तथा परिवार में कमाने वाला एकमात्र पुरूष सदस्य था। उक्त दुर्घटना में कारित चोटों के कारण प्रार्थी की आमदनी बन्द हो गयी है तथा दुर्घटना में कारित चोटों के कारण स्थायी रूप से निःशक्त हो गया है। दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप उत्पन्न स्थायी अशक्तता के कारण प्रार्थी की आय अर्जन क्षमता समाप्त हो गयी है।

7– घटना के समय अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल जाट वाहन चालक, अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल पंजीकृत वाहन स्वामी के नियोजन में कार्य कर रहा था इसलिए क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। उक्त वाहन अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी के पास बीमित रहा है जो इस वाहन के संबंध में हुई किसी भी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी रखती है। अतः उपरोक्त दोनों क्लेम आवेदन के प्रा. र्थीगण को उनके अपने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

8– उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं के अप्रार्थीगण क्रम–1 व 2 की ओर से पृथक–पृथक उत्तर याचिका प्रस्तुत कर दोनों क्लेम याचिकाओं के तथ्यों को मदवार अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में अभिवचन किया गया कि अप्रार्थी सं0 1 के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई, मात्र क्लेम प्राप्त करने के लिये अप्रार्थीगण

के वाहन को उक्त दुर्घटना में गलत रूप से लिप्त करवाया गया है। जवाब में यह भी अंकित किया है कि अगर किसी भी प्रकार का उनका दायित्व माना जावे तो वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 अप्रार्थी सं0 3 द्वारा बीमित था इसलिए क्षतिपूर्ति राशि का दायित्व बीमा कम्पनी का है।

9— उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं में अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी द्वारा पृथक–पृथक प्रस्तुत उत्तर प्रार्थना पत्र में दोनों क्लेम याचिकाओं के तथ्यों को मदवार अस्वीकार करते हुए दुर्घटना का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता और पॉलिसी की शर्तों की पालना संबंधी आपत्तियों को उठाते हुए अति. रिक्त आपत्तियों में यह अभिवचन किया गया कि कथित दुर्घटना में अन्तर्लिप्त बताये गए वाहन का सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था तथा कथित दुर्घटना मोटरसाईकिल नं0 आर.जे.28 एस.एक्स. 5111 के चालक द्वारा घ ोर उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है तथा इस मोटरसाईकिल के चालक, मालिक व बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रतिवाद लेते हुए क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन बढ़ा–चढ़ाकर किया जाना बताया है। बीमा कम्पनी ने अपनी उत्तर याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर क्लेम प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

10— उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर उक्त प्रकरणों में पृथक–पृथक विवाद्यक विरचित किये गए, जिनमें विवाद्यक सं0 1 के अलावा शेष विवाद्यक सं0 2 ता 5 समान हैं।

विवाद्यक सं0 1 पृथक–पृथक निम्नप्रकार है :–

<u>मोटर दुर्घटना दावा सं0 17/2023 –</u>

1. आया प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 के चालक हनुमानलाल जाट (विपक्षी सं0 1) के द्वारा दिनांक 20.11.2021 को समय रात्रि 11 बजे के लगभग एस.के.जी. फेक्ट्री के सामने बारां से कोटा की तरफ जाने वाली सड़क पर एन.एच. 27 पर पुलिसथाना बारां सदर के क्षैत्राधिकार में उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र साहबलाल के शरीर पर चोटें कारित होने से उसकी मृत्यु हुई ?

–प्रार्थीगण

<u>मोटर दुर्घटना दावा सं0 18/2023 –</u>

1. आया प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 के चालक हनुमानलाल जाट (विपक्षी सं0 1) के द्वारा दिनांक 20.11.2021 को समय रात्रि 11 बजे के लगभग एस.के.जी. फेक्ट्री के सामने बारां से कोटा की तरफ जाने वाली सड़क पर एन.एच. 27 पर पुलिसथाना बारां सदर के क्षैत्राधिकार में उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हेमन्त मीणा पुत्र अमरलाल मीणा के शरीर पर चोटें कारित हुई ?

–प्रार्थी/घायल

तथा समान विवाद्यक सं0 2 ता 5 निम्नप्रकार है :–

2. आया वाहन चालक विपक्षी सं0 1 हनुमानलाल जाट, वाहन के पंजीकृत स्वामी विपक्षी सं0 2 श्रवणलाल जाट के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था ?

–प्रार्थीगण

3. आया विपक्षी सं0 3 बीमा कंपनी अपने लिखित कथन की प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है ?

–बीमा कम्पनी

4. आया दावेदारान अपने–अपने दावे में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत् राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कौन–कौन दावेदारान कितनी–कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते हैं ? –प्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

11– तत्पश्चात् प्रकरण सं0 17/2023 के साथ प्रकरण सं0 18/23 आदेश दिनांक 01.06.2024 अनुसार समेकित किया गया, जिस पर प्रार्थीगण की ओर से अपने–अपने क्लेम प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह ए0ड0 1 साहबलाल व ए0ड0 02 हेमन्त मीणा की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श–1, चार्जशीट प्रदर्श–2, पर्चाबयान हेमन्त प्रदर्श–3, नक्शामौका प्रदर्श–4, फर्द डैमेज मोटरसाईकिल प्रदर्श–5, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श–6, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–7, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श–8, फर्द जब्ती ट्रेलर प्रदर्श–9, नोटिस धारा

133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श–10, नोटिस धारा 134 एम.वी.एक्ट प्रदर्श–11, ड्राईविंग लाईसेंस हनुमानलाल प्रदर्श–12, प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श–13, परमिट प्रदर्श–14, वाहन बीमा प्रदर्श–15, थानाधिकारी का पत्र डी.टी.ओ. बारां को प्रेषित प्रदर्श–16, प्रश्नगत वाहन के मैकेनिक मुआयना प्रदर्श–17 की प्रमाणित प्रतियां तथा मृतक नरेन्द्र कुमार मीणा के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श–18'ए', मृतक नरेन्द्र के पेन कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श–19'ए', ड्राईविंग लाईसेंस नरेन्द्र की छायाप्रति प्रदर्श–20'ए', मृतक नरेन्द्र की वेतन स्लिप प्रदर्श–21 लगायत प्रदर्श–26, मृतक नरेन्द्र की एम्प्लॉयी आई.डी. प्रदर्श–27'ए' तथा चोट प्रतिवेदन हेमन्त मीणा प्रदर्श–28, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–29 प्रमाणित प्रतियों में, प्रार्थी/घायल हेमन्त के इलाज के बिल प्रदर्श–30 लगायत 46, प्रार्थी/घायल हेमन्त के इलाज के पर्चे प्रदर्श–47 लगायत प्रदर्श–51, वेतन प्रमाणपत्र प्रार्थी/घायल हेमन्त प्रदर्श–52, इलाज के दौरान प्रार्थी हेमन्त के अवकाश पर रहने का प्रमाणपत्र प्रदर्श–53 एवं मोटरसाईकिल ठीक कराने का बिल प्रदर्श–54 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गए।

12– अप्रार्थीगण की ओर से एन.ए.ड. 1 विनोद कुमार शर्मा (अन्वेक्षक नेशनल इन्श्येरेंस कं0लि0), एन.ए.ड. 2 श्रवणलाल (अप्रार्थी सं0 2) एवं एन.ए.ड. 3 अमित कुमार मीणा (शाखा प्रबन्धक, नेशनल इन्श्योरेंस कं0लि0) की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अन्वेषण की परमिट सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श ए–1, ऑन लाईन परमिट सर्च इन्क्वायरी का प्रिन्ट आउट प्रदर्श ए–2 व वाहन की बीमा पॉलिसी प्रदर्श ए–3 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गए।

13– बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र के प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस ने बाद अनुसंधान दुर्घटना अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल द्वारा वाहन ट्रोला सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 को गफलत, लापरवाही व तेजगति से चलाये जाने के कारण कारित होना मानते हुए उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श–2 प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से वाहन ट्रोला सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 के चालक अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल की गफलत एवं लापरवाही से वाहन चलाये जाने के कारण दुर्घटना कारित होना व उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र साहबलाल मीणा (क्लेम प्रार्थनापत्र सं0 17/2023) के शरीर पर कारित हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना तथा हेमन्त मीणा (क्लेम प्रार्थनापत्र सं0

18/2023) के शरीर पर चोटें कारित होना प्रमाणित किया है। मृतक नरेन्द्र कुमार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–7 के अनुसार उसकी मृत्यु सिर में कारित हुई चोट के कारण होना तथा प्रार्थी/आहत हेमन्त के चिकित्सीय दस्तावेजात प्रदर्श–28 लगायत प्रदर्श–51 से उसके शरीर पर चोटें कारित होना प्रमाणित हैं। ए0ड02 हेमन्त दुर्घटना का चक्षुदर्शी साक्षी एवं घायल है। नक्शामौका भी पत्रावली पर है। यदि वक्त दुर्घटना वाहन का परमिट नहीं था तो भी प्रार्थीगण को क्लेम में कोई फर्क नहीं पडता है, यह अप्रार्थीगण का आपसी मामला है। अप्रार्थी सं0 3 प्रश्नगत वाहन ट्रोला की बीमा कम्पनी है। दोनों क्लेम आवेदन के प्रार्थीगण उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रा. र्थीगण को हुई क्षति की पूर्ति के लिये बीमा कम्पनी शेष अप्रार्थीगण के साथ दायित्वाधीन है। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत चाही गई क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की।

14– अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नक्शामौका में डिवाईडर नहीं टूटा, यह असंभव है जिसकी साक्ष्य पत्रावली पर है एवं इससे स्पष्ट है कि स्वयं मोटरसाईकिल चालक मृतक नरेन्द्र मीणा गलत दिशा में चलकर गलती पर था। वेतन प्रमाणपत्र का नियोक्ता साक्ष्य में नहीं आया है। बीमा कम्पनी की साक्ष्य से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। प्रदर्श ए–2 परमिट विश्वसीनय नहीं है, क्योंकि इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल जाट वैध अनुज्ञापत्रधारी चालक है तथा दुर्घटना में अंर्तलिप्त ट्रोला सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 का बीमा अप्रार्थी सं0 3 द्वारा किया गया था, इस कारण उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी का है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :–

1– ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कं0लि0 बनाम श्रीमति मिथलेश व अन्य
2017 (2) सीसीआर 811 (मान. इलाहबाद हाईकोर्ट),

2– यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं0लि0 बनाम श्रीमति प्रेमिला व अन्य
2017 (1) सीसीआर 513 (राजस्थान)

13– अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना में लिप्त ट्रोला माल परिवहन यान की श्रेणी में आता है, जिसको सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी परमिट होना आवश्यक है। वाहन सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 के परमिट की जांच अन्वेषक विनोद शर्मा एन0ए0ड01 के करवाये

जाने पर यह प्रकट हुआ कि दिनांक 20.11.2021 को सार्वजनिक स्थान पर ट्रोले को चलाने का वाहन स्वामी के पास वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। वाहन स्वामी ने दुर्घटना के पूर्व से ही वाहन का परमिट जिला परिवहन अधिकारी दूदू (जयपुर) के यहां सरेण्डर कर रखा था। पुनः परमिट दिनांक 22.11.2021 को जारी करवाया गया जिसकी वैधता तिथि दिनांक 24.11.2021 से 23.11.2026 तक है, जिसके संबंध में दस्तावेज प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श ए–2 प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 की साक्ष्य में ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि प्रदर्श ए–2 सर्च इन्क्वायरी परमिट फर्जकारी करके पेश किया हो, ऐसा में अप्रार्थी सं0 1 ता 2 की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत तर्क माने जाने योग्य नहीं है। वेतन स्लिपों को साबित करने के लिये नियोक्ता साक्ष्य में नहीं आया है। आहत का वेतन बाद में बढाया गया है जो माने जाने योग्य नहीं है तथा आहत की कोई स्थाई निःशक्तता का प्रमाणपत्र भी पेश नहीं हुआ है, ऐस में वह भविष्यवर्ती आय की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बिना वैध परमिट के वाहन का सार्वजनिक स्थल पर संचालन करना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, जो साक्ष्य से सिद्ध भी है। पे एण्ड रिकवरी का सिद्धान्त भी उक्त परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। इस कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं है। बीमा कम्पनी की ओर से अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गए :–

1– अमृतपॉल सिंह व अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इन्श्योरेंस कं0 2018 ए0सी0जे0 1768,

2– कृष्णाकुमार साहू व अन्य बनाम निर्मलाबाई व अन्य 2019 ए0सी0जे0 2776,

3– न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0 बनाम रज्जू बाई व अन्य 2019 ए0सी0जे0 2909,

4– त्रिवेणी कोडकेनी व अन्य बनाम एयर इण्डिया लिमि0 अन्य 2020 ए0सी0जे0 1582,

5– रणवीर सिंह बनाम रामनिवास व अन्य 2016 (1) एसीटीसी (राज0) 237

14– उभय पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों के मध्येनजर सम्बन्धित विधि व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

15— **ए0ड0 1 साहबलाल** ने अपनी शपथपत्रीय साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 20.11.2021 को हेमन्त मीणा अपने मामा के पुत्र नरेन्द्र मीणा के साथ अपनी स्वयं की मोटरसाईकिल नं0 आर.जे.28 एस.वाई. 5111 पर पीछे बैठा हुआ था, उक्त मोटरसाईकिल को नरेन्द्र मीणा अपनी साईड में धीरे धीरे चलाता हुआ ग्राम सुन्दलक से अन्ता जा रहा था कि रात्रि 11 बजे करीब जैसे ही मोटरसाईकिल बारां से कोटा जाने वाले नेशनल हाईवे नं0 27 पर एस.के.जी. फेक्ट्री के सामने पहुंचे तो एक ट्रोला रजि0 नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 का चालक एकदम गलत दिशा में से अर्थात ट्रोले को कोटा से बारां जाने वाली सड़क के डिवाईडर के उपर से पार (क्रोस) करके बारां से कोटा जाने वाली सड़क पर ट्रोला ले आया और मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कारित दुर्घटना में नरेन्द्र कुमार मीणा की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा प्रार्थी/घायल हेमन्त मीणा के सिर व शरीर में गंभीर चोटें कारित हुई। उक्त दुर्घटना ट्रोला नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 के चालक की अत्यधिक तेजगति, गफलत व लापरवाही के कारण घटित हुई है। मृतक मुम्बई की एक फाईनेंशियल प्लानर कम्पनी में फोस—पीएल के पद पर तथा इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक सहयोगी कम्पनी बजवर्क बिजनेस सर्विस प्रा0 में फोस पीएल के पर पर कार्यरत रहकर कुल 30 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था तथा मृतक अपनी सम्पूर्ण आय को अपने पिता को लाकर देता था। मृतक अविवाहित था जो परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करता था। साक्षी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श—1 लगायत प्रदर्श 27—ए प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने दर्ज कराया कि उसने घटना के बारे में सुना था, जिसके आधार पर बयान दिये है तथा इस बात को गलत बताया है कि उसका लडका व हेमन्त गलत दिशा में मोटरसाईकिल से चल रहे हो तथा अपनी गलती से गिर गए हों। अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने दर्ज कराया है कि यह सही है कि एक्स स्थान प्रदर्श—4 में डिवाईडर पर लगा है, डिवाईडर के एक तरफ रोड की चौडाई 30 फीट है। यह सही है कि सडक के 30 फीट बाद 3 फीट की एक चौडी पट्टी रहती है। यह कहना सही है कि मृतक का बेसिक वेतन 6,474/—रूपये था, जो मई 2021 से लेकर प्रदर्श—26 तक अंकित है। मई से लेकर दुर्घटना दिनांक 20.11.2021 तक का वेतन प्रमाणपत्र पेश नहीं किया। यह कहना सही है कि प्रदर्श—26 में इन्सेंटिव मिलाकर कुल आय 7,503 रूपये दर्शायी गई है। यह कहना सही है कि इन्सेंटिव

मृतक के कार्य क्षमता के अनुसार ही प्रत्येक माह में अलग अलग मिलता था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि वक्त घटना नरेन्द्र ने हेलमेट लगा रखा था या नहीं।

16— प्रार्थी/साक्षी ए0डब्ल्यु0 2 हेमन्त मीणा स्वयं घायल एवं दुर्घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी है, परीक्षित हुआ है, जिसने शपथपत्रीय साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 20.11.2021 को वह तथा उसके मामा का लडका नरेन्द्र कुमार मीणा उसकी मोटरसाईकिल नं0 आर.जे.28 एस.वाई. 5111 से गांव सुन्दलक में शादी से वापस अन्ता जा रहे थे। मोटरसाईकिल को नरेन्द्र चला रहा था। रात्रि करीब 11 बजे ज्योही वे हाई वे पर एस0के0 जी फेक्ट्री के सामनें पहुंचे कि सामनें की तरफ से गलत साईड से एक ट्रोला रजि0 नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 का चालक ट्रोले को काफी तेजगति, गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल के जोर से टक्कर मार दी जिससे नरेन्द्र कुमार के सिर, सामने ललाट व सीने में लग गई, नरेन्द्र की मौके पर मृत्यु हो गई तथा उसके बांयी आंख के ऊपर चोट लगी व सिर में भी पीछे की तरफ चोट लगने से खून निकल आया तथा बांये गाल पर रगड लगने से खून निकल आया। पुलिस नरेन्द्र कुमार की लाश व उसे साथ लेकर राजकीय चिकित्सालय बारां में इलाज व कार्यवाही हेतु लायी थी। घटना के बाद ट्रोला चालक ने अपने ट्रोले को थोडा आगे साईड में खडा करके चालक फरार हो गया था। इस साक्षी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श—28 लगायत प्रदर्श 54 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये।

इस गवाह ने अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उस दिन दोनों के हेलमेट लगा हुआ नहीं हो, मौके पर हेलमेट चूर—मूर हो गया था। पुलिस ने चूर—मूर हेलमेट को जब्त किया या नहीं, मैं नहीं बता सकता। अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने दर्ज कराया है कि यह कहना सही है कि उसने उसका नियुक्ति पत्र पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि जिस रजिस्टर में उसकी उपस्थिति दर्ज होती है, उसकी नकल पेश नहीं की है। यह कहना सही है कि उसकी गाडी की जो टूट—फूट हुई, उसको ठीक करवाने के बिल की कोई रसीद पेश नहीं की है। यह कहना सही है कि उसका बेसिक वेतन 6,360/—रूपये है। अभी वह कम्पनी में नौकरी कर रहा है। अभी उसका वेतन 16,500/—रूपये है।

17— प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से गवाह **एन0ए0ड0 1 विनोद कुमार शर्मा** के बयान लेखबद्ध करवाये गए, जिसने मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथपत्रीय साक्ष्य में कथन किया है कि नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी ने उसे इस प्रकरण में अन्वेक्षण करने हेतु नियुक्त किया था। दुर्घटना दिनांक 20.11.2021 के संबंध में वाहन नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9555 के परमिट का सत्यापन ऑनलाईन किया था जिसके अनुसार वाहन का दुर्घटना दिनांक 20.11.2021 से पूर्व दिनांक 25.03.2021 को वाहन का परमिट आरटीओ के यहां सरेण्डर किया जा चुका था। वाहन स्वामी ने पुनः प्रभावी परमिट जिला परिवहन अधिकारी से दिनांक 23.11.2021 को प्राप्त किया था। इस प्रकार दुर्घटना की तिथि 20.11.2021 को वाहन स्वामी के पास वाहन नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9555 को सार्वजनिक स्थल पर चलाने का वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था जो मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। अन्वेक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए—1 है तथा वाहन के परमिट सत्यापन रिपोर्ट जो ऑनलाईन प्राप्त हुई, वह प्रदर्श ए—2 है।

इस गवाह ने प्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में दर्ज कराया है कि वाहन दुर्घटना की दिनांक को बीमित था या नहीं, यह उसकी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श ए—2 पर परिवहन विभाग की कोई सील मोहर अंकित नहीं है। प्रदर्श ए—2 किस तारीख को ऑनलाईन जनरेट किया था, उसकी तारीख प्रदर्श ए—2 पर अंकित नहीं है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श ए—2 किस तारीख को ऑनलाईन निकाला गया, ऐसी कोई तारीख प्रदर्श ए—2 पर अंकित नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श ए—2 जिला परिवहन अधिकारी से सत्यापित नहीं है। अजखुद कहा कि प्रदर्श ए—2 ऑनलाईन रिकॉर्ड है। यह कहना सही है कि प्रदर्श ए—2 के बाबत उसने जिला परिवहन अधिकारी को कोई आवेदन नही किया। अजखुद कहा कि परमिट की कॉपी के अभाव में उन्होंने गाडी नंबर से ऑनलाईन रिकॉर्ड निकाला है। यह सही है कि प्रदर्श ए—2 में यह अंकित नहीं है कि किस मालिक ने परमिट को सरेंडर किया था और उस समय वाहन का मालिक कौन था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श ए—2 में जो अंकन है, वह कम्प्यूटर से तैयार किया जा सकता हो। वह परमिट को अवैध नही बात रहा है क्योंकि उन्हे परमिट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

18— अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के साक्षी एन0ए0ड02 श्रवणलाल स्वयं अप्रार्थी सं0 2 ने मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथपत्र में कथन किया है कि मृतक की दुर्घटना से उसका कोई संबंध नहीं है एवं उक्त दिनांक को हुई दुर्घटना से उसका अथवा उसके वाहन का कोई संबंध नहीं था। उसके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अन्य वाहन से होने वाली दुर्घटना का क्लेम पाने की गरज से गलत रूप से उसका नाम उक्त प्रकरण में अंकित करवा दिया गया है। मृतक स्वयं की कोई आय न होने पर भी उसे बढा चढाकर दर्शाया गया है एवं क्लेम की राशि भी काल्पनिक रूप से बढा चढाकर अंकित है तथा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। दुर्घटना में लिप्त बताये गए वाहन का वक्त दुर्घटना बीमा, न्यू इण्डिाया इन्श्योरेंस कं. के यहां करवाया हुआ है तथा उसके सभी प्रकार के जोखिम व दायित्व बीमा कम्पनी द्वारा ग्रहण किये गए है। यदि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रार्थीगण के पक्ष में दी जाती है तो उसका दायित्व बीमा कम्पनी का है।

इस गवाह ने बीमा कम्पनी की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह उसकी जानकारी नहीं है कि दिनांक 20.11.2021 को ट्रक का परमिट जिला परिवहन अधिकारी दूदू के यहां पूर्व में सरेंडर होने के कारण प्रभाव में नहीं हो।

19— बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित करवाये गए दूसरे गवाह एन0ए0ड0 03 अमित कुमार मीणा शाखा प्रबन्धक ने मुख्य परीक्षा में दर्ज कराया है कि वाहन नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 दिनांक 17.09.2021 से 16.09.2022 तक बीमित था। वह दुर्घटना दिनांक 20.11.2021 की दुर्घटना के संबंध में वाहन के परमिट की जांच करवाई गई थी जिसके अनुसार दिनांक 25.03.2021 को वाहन स्वामी ने वाहन का परमिट जिला परिवहन अधिकारी दूदू (जयपुर) के यहां सरेण्डर कर रखा था। दुर्घटना के दिन वाहन को सार्वजनिक स्थल पर चलाने का वैध और प्रभावी परमिट नहीं था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन है। वाहन की बीमा पॉलिसी प्रदर्श ए—3 है, जिसके ए से बी भाग में परमिट की शर्तें अंकित है।

इस गवाह ने प्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि वक्त दुर्घटना वाहन का बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार था। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि जिला परिवहन अधिकारी दूदू से परमिट के संबंध में कोई प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। इसके परमिट की छाया प्रति में वैधानिकता दिनांक 31.07.2023 तक लिखी हुई है तो मैं नहीं कह सकता। परमिट की छाया प्रति में वैधानिकता की दिनांक 31.07.2023

लिखी हुई है, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि वाहन के परमिट की छायाप्रति राजस्थान ट्रांसपोर्ट विभाग से जारी है।

20— पत्रावली पर आयी उक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के दृष्टिगत विवाद्यकवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार है :—

<u>विवाद्यक सं0 1 (क्लेम सं0 17/23 व 18/23):—</u>

21— उक्त विवाद्यकों को प्रमाणित करने का भार उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र के प्रार्थीगण पर है। भार को उन्मोचित करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से गवाह ए0ड0 1 साहबलाल (मृतक नरेन्द्र मीणा का पिता), ए0ड0 2 हेमन्त मीणा (स्वयं प्रार्थी/आहत एवं चक्षुदर्शी गवाह) को परीक्षित कराया गया है।

22— प्रार्थी साक्षी ए.डब्ल्यू 1 साहबलाल यद्यपि दुर्घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। परन्तु प्रार्थी साक्षी ए.ड. 2 हेमन्त मीणा स्वयं प्रार्थी/घायल प्रश्नगत दुर्घटना के मौके का साक्षी होने पर कोई सन्देह नहीं है, जो अपनी साक्ष्य में स्पष्ट साक्ष्य देता है कि दिनांक 20.11.2021 को उसके तथा उसके मामा के लडके नरेन्द्र कुमार मीणा के साथ उसकी मोटरसाईकिल नं0 आर.जे.28 एस.वाई. 5111 से जाने के दौरान रात्रि करीब 11 बजे हाई वे पर एस0के0 जी फेक्ट्री के सामनें गलत साईड से ट्रोला रजि0 नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 को उसके चालक द्वारा काफी तेजगति, गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर तथा उनकी मोटरसाईकिल के जोर से टक्कर मार दी गई जिससे नरेन्द्र कुमार के सिर, सामने ललाट व सीने में चोटें आने के कारण उसकी मौके पर मृत्यु हो गई तथा उसके स्वयं की बांयी आंख के ऊपर व सिर में भी पीछे की तरफ चोटे आई। वह अपनी उक्त साक्ष्य पर भी स्थिर रहा है।

23— उक्त दुर्घटना के संबंध में प्रार्थी/आहत हेमन्त मीणा द्वारा दिनांक 21.11.2021 को दर्ज कराये गए अपने पर्चा बयान प्रदर्श—3 में भी वाहन ट्रोला रजि0 नं0 आर.जे. 14 जी.बी. 9551 के चालक द्वारा गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से वाहन चलाते हुए गलत साईड में आकर उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मारना व इस दुर्घटना में नरेन्द्र कुमार के शरीर पर कारित हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो जाना तथा उसके शरीर पर चोटें कारित होना स्पष्ट रूप से दर्ज कराया गया है। उक्त दुर्घटना के संबंध एफआईआर प्रदर्श 1 दर्ज की जाकर, अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं. 1 हनुमान लाल जाट के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श—2 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं. में प्रस्तुत किया गया।

24— पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श—4 नक्शामौका में भी एक्स स्थान पर फरियादी एवं मृतक नरेन्द्र मीणा की मोटरसाईकिल के ट्रोला नं0 आर.जे.14 जी.बी. 9551 के चालक द्वारा गफलत एवं लापरवाही से अपने ट्रोला को डिवाईडर पर क्रोस कर टक्कर मारे जाने व मोटरसाईकिल चालक नरेन्द्र मीणा की मृत्यु हो जाने व फरियादी के चोटें आना वर्णित किया गया है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 की ओर से दिया गया तर्क सही है कि प्रार्थीगण की साक्ष्य में कही भी डिवाईडर टूटना नहीं आया है, किन्तु उक्त नक्शामौका प्रदर्श—4 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रश्नगत वाहन ट्रोला ने मोटरसाईकिल के डिवाईडर क्रोस करके टक्कर मारी है जो साक्ष्य पत्रावली पर है। हर मामले में डिवाईडर क्षतिग्रस्त होना आवश्यक नहीं है। ऐसे में उक्त तर्क के आधार पर उक्त अप्रार्थीगण को कोई फायदा नहीं मिलता है तथा अप्रार्थीगण की ओर से दिया गया यह तर्क भी नहीं माना जा सकता कि स्वयं मोटरसाईकिल चालक मृतक की दुर्घटना में लापरवाही थी। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श—8 अनुसार पंचान द्वारा मृतक की मृत्यु प्रश्नगत वाहन की टक्कर से आई चोटों से होने की राय दी गई है। प्रदर्श—7 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक की राय अनुसार मृतक नरेन्द्र कुमार की मृत्यु उसके सिर पर प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त मृत्यु पूर्व की चोट के परिणाम स्वरूप शॉक होने के कारण होना बतायी गई है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श—6 के जरिये मृतक नरेन्द्र कुमार की लाश मृतक के चाचाजी लेखराज को सोंपी गई है। प्रार्थी/आहत हेमन्त मीणा के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श—28 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श—29 से उसके शरीर पर चोटें आना प्रमाणित हैं। फर्द जब्ती प्रश्नगत वाहन प्रदर्श—9 में वाहन ट्रेलर के क्लीनर साईड की हेड लाईट के पास साईड में स्क्रेच आए हुए होना वर्णित है। प्रदर्श—17 प्रश्नगत वाहन ट्रोला की मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट है, जिसमें उसके आगे बाई साईड हैड लाईट के ऊपर साईड में पुराना रंगड का निशान होना अंकित है, जिससे भी दुर्घटना में उक्त वाहन ट्रोला के संलिप्त होने को इशारा होता है। फर्द डेमेज मोटरसाईकिल प्रदर्श—5 में मोटरसाईकिल की हैड लाईट व टोपा पूरा टूटा हुआ होना, दोनों शॉकर रिम टायर सहित चैचिस इंजन में घुसा हुआ होना, टंकी उपर से अन्दर घुसी हुई होना, दोनों आगे के इण्डीगेटर, नम्बर प्लेट टूटी हुई होना व फ्रन्ट पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होना अंकित है, जिससे भी दुर्घटना में मोटरसाईकिल का क्षतिग्रस्त होना सिद्ध है। नोटिस धारा—133 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श—10 के जवाब में अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल वाहन मालिक ने प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.

बी. 9551 पर दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को चालक हनुमान (अप्रार्थी सं0 1) का होना अंकित किया है। नोटिस अन्तर्गत धारा 134 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श 11 के जवाब में अप्रार्थी सं0 1 हनुमान ने प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 पर दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को स्वयं को चालक होना अंकित किया है। इस प्रकार दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को अप्रार्थी सं0 1 हनुमान का वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 पर चालक होना सिद्ध है। मोटरसाईकिल चालक मृतक नरेन्द्र कुमार के ड्राईविंग लाईसेंस की छाया प्रति प्रदर्श 20–ए भी पत्रावली पर है जिसके आधार पर वक्त दुर्घटना मृतक नरेन्द्र कुमार के पाय मोटरसाईकिल चलाने की अनुज्ञप्ति होना भी प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त बिन्दुओं के तथ्यों पर साक्ष्य अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ है। अतः मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 के चालक हनुमानलाल जाट (विपक्षी सं0 1) के द्वारा दिनांक 20.11.2021 को समय रात्रि 11 बजे के लगभग एस.के.जी. फेक्ट्री के सामने बारां से कोटा की तरफ जाने वाली सड़क पर एन.एच. 27 पर पुलिस थाना बारां सदर के क्षैत्राधिकार में उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप नरेन्द्र मीणा पुत्र साहबलाल मीणा के शरीर पर कारित हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई तथा हेमन्त मीणा पुत्र अमरलाल मीणा के शरीर पर चोटें कारित हुई, जिसके लिये उक्त वाहन चालक अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल उत्तरदायी है। परिणाम स्वरूप उक्त दोनों प्रकरण के विवाद्यक सं0 1 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रा. र्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

<u>विवाद्यक सं. 2</u>

25– इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार भी उक्त दोनों क्लेम आवेदन के प्रार्थीगण पर है। पत्रावली पर प्रमाणित प्रति में प्रदर्श–13 प्रश्नगत वाहन ट्रोले का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र भी है जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल प्रश्नगत वाहन ट्रोले का पंजीकृत स्वामी है। प्रदर्श–12 अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल की वाहन चालन अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति है जो फौजदारी प्रकरण में पेश हुई है जिस अनुसार वह वक्त दुर्घटना उक्त ट्रोला को चलाने की अनुज्ञप्ति रखता था। प्रदर्श–10 नोटिस अन्तर्गत धारा 133 मोटरयान अधिनियम के जवाब में अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल ने प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 पर दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को चालक हनुमान का होना अंकित किया है। नोटिस अन्तर्गत धारा 134 मोटरयान

अधिनियम प्रदर्श 11 के जवाब में अप्रार्थी सं0 1 हनुमान ने प्रश्नगत वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 पर दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को स्वयं को चालक होना अंकित किया है। इस प्रकार दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को अप्रार्थी सं0 1 हनुमान का वाहन ट्रोला सं0 आरजे.14 जी.बी. 9551 पर चालक होना सिद्ध है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रश्नगत वाहन ट्रोला अप्रार्थी सं0 2 पंजीकृत मालिक श्रवणलाल का होने से इन्कारी नहीं की गई है तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य नहीं कर रहा हो। उनकी ओर से कोई साक्ष्य नहीं होने से उनके विरूद्ध यह उपधारणा बनती है कि अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल के नियोजन में उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। ऐसे में उक्त बिन्दु पर साक्ष्य प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यह सिद्ध होता है कि वाहन चालक अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल वाहन के पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। अतः उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र के विवाद्यक सं0 2 भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

<u>विवाद्यक सं0 3 :–</u>

26– इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी पर है। अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से दिया गया यह तर्क सही है कि अप्रार्थी साक्षी एनए0ड01 विनोद कुमार शर्मा एवं एन0ए0ड03 अमित कुमार मीणा की साक्ष्य के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन ट्रोला का परमिट ऑन लाईन सर्च इन्क्वायरी के प्रिन्ट आउट प्रदर्श ए–2 व एन0ए0ड0 1 विनोद कुमार शर्मा की सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श ए–1 अनुसार प्रश्नगत वाहन ट्रोला को दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 से पूर्व आर0टी0ओ के यहां 25.03.2021 को सरेण्डर कर दिया गया था तथा वह दुर्घटना के पश्चात दिनांक 23.11.2021 को पुनः नया प्राप्त किया गया था। इस समयावधि के बीच में हुई दुर्घटना के समय अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल के पास उक्त प्रश्नगत वाहन ट्रोला का वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। स्वयं प्रश्नगत वाहन का स्वामी अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल बतौर एन0ए0ड0 2 न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर इन तिथियों के मध्य कोई नया परमिट बना हो, यह साबित नहीं कर पाया है, न ही ऑन लाईन सर्च इन्क्वायरी के प्रिन्ट आउट प्रदर्श ए–2 के फर्जी होने बाबत कोई सुझाव अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी के

साक्षियों एन0ए0ड01 विनोद कुमार शर्मा व एन0ए0ड0 3 अमित कुमार को दिया जाकर उसके फर्जी होने का आधार रखा गया है, जिसके दृष्टिगत अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से दिये गए यह माने जाने योग्य है कि दुर्घटना की तिथि को प्रश्नगत वाहन को चलाये जाने के संबंध में वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। इस संबंध में अप्रार्थी सं0 1 ता 2 की ओर से न्यायिक दृष्टान्त ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कं0लि0 बनाम श्रीमति मिथलेश व अन्य 2017 (2) सीसीआर 811 (मान. इलाहबाद हाईकोर्ट) प्रस्तुत करते हुए तर्क दिये गए हैं कि परमिट नहीं होने के आधार पर बीमा शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है किन्तु इस न्यायिक दृष्टान्त में निजी वाहन उत्तर पदेश राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संविदा पर चलाया जा रहा था। उनके द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं0लि0 बनाम श्रीमति प्रेमिला व अन्य 2017 (1) सीसीआर 513 (राजस्थान) भी पेश किया गया है, किन्तु इस न्यायिक दृष्टान्त में परमिट के क्षेत्र से बाहर वाहन चालन का मामला था, ऐसे में उक्त न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण अप्रार्थी सं0 2 की कोई मदद नहीं करते हैं। इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अमृतपॉल सिंह व अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इन्श्योरेंस कं0 2018 ए0सी0जे0 1768 के पैरा–23 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नप्रकार विधि प्रतिपादित की गई है :–

23- In the case at hand, it is clearly demonstrable from the materials brought on record that the vehicle at the time of the accident did not have a permit. The appellants had taken the stand that the vehicle was not involved in the accident. That apart, they had not stated whether the vehicle had temporary permit or any other kind of permit. The exceptions that have been carved out under Section 66 of the Act, needless to emphasise, are to be pleaded and proved. The exceptions cannot be taken aid of in the course of an argument to seek absolution from liability. Use of a vehicle in a public place without a permit is a fundamental statutory infraction. We are disposed to think

so in view of the series of exceptions carved out in Section 66. The said situations cannot be equated with absence of licence or a fake licence or a licence for different kind of vehicle, or, for that matter, violation of a condition of carrying more number of passengers. Therefore, the principles laid down in **Swaran Singh** (supra) and **Lakhmi Chand** (supra) in that regard would not be applicable to the case at hand. That apart, the insurer had taken the plea that the vehicle in question had no permit. It does not require the wisdom of the "Tripitaka", that the existence of a permit of any nature is a matter of documentary evidence. Nothing has been brought on record by the insured to prove that he had a permit of the vehicle. In such a situation, the onus cannot be cast on the insurer. Therefore, the tribunal as well as the High Court had directed the insurer was required to pay the compensation amount to the claimants with interest with the stipulation that the insurer shall be entitled to recover the same from the owner and the driver. The said directions are in consonance with the principles stated in **Swaran Singh** (supra) and other cases pertaining to pay and recover principle.

27— उक्त विधि अनुसार अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से दिया गया यह तर्क तो माने जाने योग्य है कि अप्रार्थी सं0 2 के पास प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना के दिन सार्वजनिक मार्ग पर चलाने का वैध व प्रभावी परमिट नहीं होने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है तथा इस कारण बीमा कम्पनी दुर्घटना में प्रार्थीगण की क्षतिपूर्ति के लिये दायित्वाधीन नहीं है, किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्त में ही उक्त स्थिति में पे एण्ड रिकवरी का सिद्धान्त संबंधित ट्रिब्यूनल एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाना सही होना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। ऐसे में उनका यह तर्क नहीं माना जा सकता कि हस्तगत प्रकरण में पे एण्ड रिकवरी का सिद्धान्त लागू नहीं होता। जबकि

इस मामले की परिस्थितियों में लागू होना पाया जाता है। अतः विवाद्यक सं0 3 बीमा कम्पनी के पक्ष में आंशिक रूप से स्वीकार कर, पे एण्ड रिकवरी का आदेश अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी के विरूद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

विवाद्यक कम 04 :–

28– इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार उक्त दोनों क्लेम आवेदन के प्रार्थीगण पर था। उक्त दोनों क्लेम आवेदन के प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि की गणना पृथक–पृथक निम्नप्रकार की जा रही है :–

क्लेम सं0 17/2023 साहबलाल व अन्य बनाम हनुमानलाल व अन्य

मृतक नरेन्द्र कुमार मीणा के संबंध में :–

29– प्रार्थीगण द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र में मृतक की आयु 27 वर्ष बतायी है। पत्रावली पर मृतक नरेन्द्र कुमार मीणा के आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत हुई है जिसमें उसकी जन्मतिथि 17.01.1996 बतायी गई है जिस अनुसार मृतक की आयु वक्त घटना दिनांक 20.11.2021 को 25 वर्ष 10 माह के लगभग होती है। ऐसी स्थिति में मृतक नरेन्द्र कुमार मीणा की आयु दुर्घटना दिनांक 20.11.2021 को 26 वर्ष मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाएगा।

30– जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, याचिका में प्रार्थीगण की ओर से मृतक को वक्त दुर्घटना Buzzworks Business Services PVT में FOS-PL के पद पर कार्यरत होना तथा मृतक की आय के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से मृतक की वेतन पर्ची प्रदर्श पी–26 पेश की है, जिनके अनुसार वक्त दुर्घटना मृतक 7,503/–रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था। अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से न्यायिक दृष्टान्त त्रिवेणी कोडकेनी व अन्य बनाम एयर इण्डिया लिमि0 व अन्य 2020 एसीजे 1582 के आधार पर दिया गया यह तर्क माने जाने योग्य है कि इन्सेंटिव वेतन में गिने जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की गणना के उद्देश्य से इन्सेन्टिव मृतक के वेतन में शामिल किए जाने योग्य नहीं होने का अभिमत दिया गया है। इस संबंध में उनका यह तर्क सही है कि गवाह ए0ड01 साहबलाल ने अपनी जिरह की साक्ष्य में मृतक का बेसिक वेतन 6,474/–रूपये मानते हुए उसकी कुल आय 7,503/–रूपये इन्सेंटिव सहित बतायी है। मृतक की पे स्लिप प्रदर्श–21 लगायत प्रदर्श–26 है जो प्रत्येक मास के मृतक के कार्य दिवसों के अनुसार है। प्रदर्श–21, प्रदर्श–23, प्रदर्श–24 व प्रदर्श–25 क्रमशः तीस, अट्ठाईस, इकत्तीस व तीस दिवसों की

वेतन स्लिप है जिनके अनुसार इन्सेन्टिव व अन्य वेतन में नहीं गिने जाने योग्य परिलाभ निकाल कर मासिक वेतन 6,474 + 1236 = 7,710/–मासिक निकलता है जो ही मृतक का वेतन माने जाने योग्य है।

31– न्यायिक दृष्टान्त National Insurance Company Limited Vs Pranay Sethi and ors (2017) 16 एससीसी 680 में दिये गये निर्देशानुसार हस्तगत प्रकरण में वक्त दुर्घटना मृतक की 26 वर्ष की आयु व 7,710/–रूपये मासिक निश्चित आय उसके उक्त प्रकार वेतन से निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप, **50 प्रतिशत भावी** आय की वृद्धि जोड़े जाने पर, 7,710 + (50 प्रतिशत भावी वृद्धि) 3,855 = 11,565/– मासिक आय मृतक नरेन्द्र कुमार की होती है।

32– अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रार्थी सं0 3 अजय कुमार मीणा को मृतक पर आश्रित नहीं होने का तर्क दिया गया है किन्तु इस संबंध में अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य नही है जबकि प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य आय है कि मृतक अपनी सम्पूर्ण आय को लाकर अपने पिता प्रार्थी सं0 1 साहबलाल को देता था तथा अपने परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करता था। इससे स्पष्ट है कि सभी प्रार्थीगण मृतक पर आश्रित थे। इस प्रश्न पर अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी की ओर से कोई जिरह भी नहीं की गई है। ऐसे में उक्त तर्कों के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी को कोई फायदा नहीं मिलता है। प्रार्थी साक्षी ए0ड01 साहबलाल की साक्ष्य से ही यह प्रकट होता है कि मृतक नरेन्द्र कुमार मीणा अविवाहित था। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि विनिश्चय 2009 DNJ 684 (SC) Sarla Verma & ors Vs Delhi Transport Corporation & anr के मामले मृतक अगर अविवाहित हो तो मृतक की आय में से **1/2 राशि की कटौति** स्वयं खर्च के रूप मे करने का मत अभिनिर्धारित किया है। अतः मृतक की मासिक आय 11,565/–रूपये में से **1/2 राशि अर्थात 5,782/– रूपये** की कटौति की जानी है। इस प्रकार मृतक की आश्रितता राशि 11,565–5,782 = 5,783/–रुपये मासिक होती है।

33– पूर्व में किए गए विवेचनानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा National Insurance Company Limited Vs Pranay Sethi and ors (2017) 16 एससीसी 680 व न्यायिक दृष्टान्त 2009 DNJ 684 SC Sarla Verma &

ors Vs Delhi Transport Corporation & anr में दिये गये दिशा निर्देशों अनुसार 26 से 30 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए 17 का गुणक प्रयुक्त किये जाने पर 5,783 x 12 x 17 = 11,79,732/–रुपये होती है, जिसका कि नुकसान प्रार्थीगण को मृतक के असामयिक निधन से उठाना पड़ेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति वे अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

34– इसी प्रकार प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 से उक्त प्रकार ही National Insurance Company Limited Vs Pranay Sethi and ors (2017) 16 एससीसी 680 में दिये गये दिशा–निर्देशों अनुसार Loss of Estate की मद में 15,000/–, Loss of Consortium की मद में 40,000/–(प्रत्येक प्रार्थी को) व Loss of Funeral Expenses की मद में 15,000/– क्षतिपूर्ति राशि भी दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण को निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है–

क्र.सं.	मद व किस्म	राशि (रुपये)
1	Loss of income including future prospects	11,79,732
2	Loss of Estate	15,000
3	Loss of Consortium (प्रत्येक को 40,000 गुणा 3)	1,20,000
4	Loss of Funeral Expenses	15,000
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**13,29,732/–**
	पूर्णांक	**13,29,732/–**

35– मृतक नरेन्द्र कुमार के संबंध में प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति की कुल राशि **13,29,732/–(तेरह लाख उन्तीस हजार सात सौ बत्तीस) रूपये निर्धारित की जाती है।**

क्लेम सं0 18/2023 हेमन्त मीणा बनाम हनुमानलाल व अन्य

घायल हेमन्त मीणा के संबंध में :–

36– ए0ड0 2 घायल हेमन्त मीणा ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उक्त दुर्घटना में उसके बांयी आंख के उपर तथा सिर में पीछे की तरफ, बांये गाल पर रगड की चोट लगी। उसे भारी शारीरिक एवं मानसिक वेदना झेलनी पडी। प्रार्थी ने अधिकरण

के समक्ष इलाज से संबंधित दस्तावेजात प्रदर्श–28 लगायत प्रदर्श–51 प्रदर्शित करवाये हैं, जिनके दृष्टिगत प्रार्थी को मेडिकल बिल प्रदर्श–30 लगायत प्रदर्श–46 में किये गये उक्त खर्च का पुनर्भरण कराया जाना उचित है, जिनकी राशि **9,457/–रूपये** का पुनर्भरण प्रार्थी हेमन्त मीणा को कराया जाना उचित है।

37– अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में प्रदर्श–47 डिस्चार्ज टिकिट पेश हुआ है, जिसके अनुसार वह दिनांक 23.11.2021 से 26.11.2021 तक 04 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। प्रार्थी के कुल 04 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पौष्टिक आहार आदि के पेटे 600/– रूपये प्रतिदिन व अटेनडेंट के खर्चे पेटे 300/–रुपये, इस प्रकार 900 X 4 = **3,600/–** रूपये अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

38– प्रार्थी हेमन्त मीणा के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–28 के अनुसार प्रार्थी के शरीर पर कुल 3 चोटें आई है, जिसमें से चोट सं0 1 व 2 गंभीर प्रकृति की चोटों के लिए एक मुश्त 50,000/– तथा चोट सं0 3 साधारण प्रकृति के लिए 3,500/–रूपये अप्रार्थीगण से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

39– याचिका में **प्रार्थी/घायल हेमन्त मीणा** ने वरवक्त दुर्घटना अपनी आयु 25 वर्ष बतायी है। पत्रावली पर प्रार्थी हेमन्त मीणा के आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत हुई है जिसमें उसकी जन्म दिनांक 20.11.1997 दर्ज है जिसके अनुसार दुर्घटना की दिनांक 20.11.2021 को प्रार्थी हेमन्त मीणा की आयु 24 वर्ष होती है। ऐसे में प्रार्थी/घायल की वरवक्त दुर्घटना आयु 24 वर्ष मानी जाती है। वक्त दुर्घटना प्रार्थी/घायल ने स्वयं को भाटिया एण्ड कम्पनी बारां में M.G.A. के पद पर रहते हुए 14,360/–रूपये की आय अर्जित करना बताया है तथा अर्जित आय के समर्थन में प्रदर्श–52 आय का विवरण पेश किया है जिसमें यद्यपि प्रार्थी/घायल की आय 14,360/–रूपये मासिक दर्ज है, किन्तु इसमें रूपये 6,000/–इन्वेन्टिव के शामिल हैं, जो पूर्व में किये गए विवेचन अनुसार वेतन में शामिल किए जाने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी/घायल की मासिक आय 6,360 + 2,000 = 8,360/– ही माने जाने योग्य है। प्रार्थी /घायल के उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के परिणाम स्वरूप वह अपने उक्त कार्य हेतु उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कम्पनी में अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रदर्श–53 प्रमाणपत्र प्रस्तुत हुआ है, जिसके अनुसार वह दिनांक 22.11.2021 से 28.02.2022 तक 03 माह 09 दिन तथा दिनांक 02.04.2022 से 03.05.2022 तक एक माह एक दिन, इस प्रकार कुल 04 माह 11 दिन उसके इलाज व रिकवर होने की

समयावधि के दृष्टितगत उसे **चार माह ग्यारह दिन के वेतन** के बराबर की राशि इलाज के दौरान वेतन के ह्रास की क्षतिपूर्ति **36,505/–रूपये** की राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

40– जहाँ तक प्रार्थी/घायल को स्थायी निर्योग्यता या उसके कारण भविष्य की आय की क्षति दिलाये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी की स्थायी निर्योग्यता संबंधी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं हुआ है, जिससे यह माना जाएगा कि प्रार्थी के स्थायी निर्योग्यता कारित नहीं हुई है। अतः उक्त मदों में कोई राशि प्रार्थी/घायल को दिलवाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

41– इसके साथ ही प्रार्थी/घायल को दुर्घटना के कारण हुई, पीड़ा, दर्द, मानसिक वेदना व संताप की मद में राशि दिलाया जाना भी उचित है। प्रार्थी/घायल की आयु वरवक्त दुर्घटना 24 वर्ष होने के आधार पर इस मद में प्रार्थी हेमन्त मीणा को देय उक्त सम्पूर्ण अवार्ड की राशि 1,03,062/–में से मेडिकल बिलों की राशि 9,457/–रूपये को कम करते हुए शेष राशि 93,605/– की 25 प्रतिशत राशि **23,401/–रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित है। अन्य मदों बाबत कोई साक्ष्य नहीं होने से, उनमें कोई राशि दिलवाए जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी हेमन्त मीणा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है–

क्र.सं.	क्षतिपूर्ति की मद व किस्म	राशि (रुपये)
1	प्रार्थी के ईलाज में (रसीद) व्यय हुई राशि	9,457
2	अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आहार व अटेण्डेन्ट आदि हेतु	3,600
3	02 गंभीर प्रकृति की चोटों के लिए	50,000
4	01 साधारण प्रकृति की चोट के लिए	3,500
5	स्थायी अयोग्यता के लिए	–
6	इलाज व रिकवर होने के दौरान आय की क्षति	36,505
6	मानसिक वेदना, संताप, पीडा व कष्ट के लिए	23,401
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**1,26,463/–**

प्रार्थी/घायल हेमन्त मीणा को देय क्षतिपूर्ति राशि **1,26,463/– (एक लाख छब्बीस हजार चार सो तिरेसठ) रूपये** निर्धारित की जाती है।

42– इस प्रकार उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्रों में प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि, अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल (वाहन चालक) व अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल (वाहन

मालिक) से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं लेकिन विवाद्यक सं0 3 में किये गए उक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी नेशनल इन्श्योरेंस कं0 लि0 को बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण दायित्व मुक्त करते हुए बीमा कम्पनी को **pay and recover** के सिद्धान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार माना गया है। अतः प्रथमतः क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी **अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी** की रहेगी जो राशि बीमा कम्पनी बाद में वाहन सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 के चालक व मालिक अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 क्रमशः हनुमानलाल व श्रवणलाल से मय ब्याज 07.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियमानुसार वसूल करने की अधिकारी रहेगी। अतः विवाद्यक सं0 4 उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्रों के प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>अनुतोष :–</u>

43– क्लेम आवेदन सं0 17/2023 साहबलाल व अन्य बनाम हनुमानलाल व अन्य में क्षतिपूर्ति की कुल राशि **13,29,732/–(तेरह लाख उन्तीस हजार सात सौ बत्तीस) रूपये** तथा क्लेम आवेदन सं0 18/2023 हेमन्त मीणा बनाम हनुमानलाल व अन्य में क्षतिपूर्ति की कुल राशि **1,26,463/– (एक लाख छब्बीस हजार चार सो तिरेसठ) रूपये** निर्धारित की गई है, जो राशि मय 07.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र के प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल (वाहन चालक) व अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल (वाहन मालिक) से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं लेकिन विवाद्यक सं0 3 में किये गए उक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी नेशनल इन्श्योरेंस कं0 लि0 को बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण दायित्व मुक्त करते हुए बीमा कम्पनी को **pay and recover** के सिद्धान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार माना गया है। अतः प्रथमतः क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी **अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी** की रहेगी जो राशि बीमा कम्पनी बाद में वाहन सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 के चालक व मालिक अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 क्रमशः हनुमानलाल व श्रवणलाल से मय ब्याज 07.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियमानुसार वसूल करने की अधिकारी रहेगी। अतः उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्रों के उक्त विवाद्यक उक्तानुसार ही प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण के उक्त दोनों क्लेम प्रार्थनापत्र उक्तानुसार ही विरूद्ध अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

:: **अवार्ड** ::

क्लेम आवेदन सं0 17/2023 साहबलाल व अन्य बनाम हनुमानलाल व अन्य

44— **प्रार्थीगण साहबलाल, मेवाबाई व अजय कुमार मीणा** की ओर से प्रस्तुत किया गया क्लेम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल (वाहन चालक) व अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल (वाहन मालिक) के विरूद्ध **13,29,732/—(तेरह लाख उन्तीस हजार सात सौ बत्तीस) रूपये** का अवार्ड पारित किया जाता है, जो राशि प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल (वाहन चालक) व अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल (वाहन मालिक) से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

45— अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी को **pay and recover** के सिद्धान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार माना गया है। अतः प्रथमतः क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं0 3 नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 बीमा कम्पनी की रहेगी जो राशि बीमा कम्पनी बाद में वाहन सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 के चालक व मालिक अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 क्रमशः हनुमानलाल व श्रवणलाल से मय ब्याज 07.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियमानुसार वसूल करने की अधिकारी होगी।

46— प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में यदि बतौर अंतरिम क्षतिपूर्ति कोई राशि प्राप्त कर ली गई हो तो वह राशि उक्त मूल क्लेम राशि में समायोजित की जावेगी तथा शेष अवार्ड राशि पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 14.09.2022 से राशि वसूल होने तक 07.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

47— अतः बीमा कम्पनी द्वारा आज दिनांक **25.03.2026** से **30 दिवस** के भीतर प्रतिकर व ब्याज की राशि इस अधिकरण के सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा बारां में स्थित खाता सं0 3530716359 में जमा करावें जो राशि प्रार्थीगण को निम्न प्रकार वितरित की जावेगी :—

क्र0 सं0	प्रार्थीगण का नाम	बचत खाता	सावधि खाते में जमा राशि
1.	साहबलाल मीणा पुत्र लच्छीराम आयु 55 वर्ष	2,21,622/– रूपये एवं सम्पूर्ण ब्याज की राशि	2,21,622/–रू एक वर्ष के लिए जमा किए जाएंगे, उक्त जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज प्रत्येक तीन माह में इसके बचत खाते में जमा किया जावेगा।
2.	मेवाबाई पत्नि साह. बलाल आयु 52 वर्ष	2,21,622/–रूपये	2,21,622/–रू 03 वर्ष के लिए जमा किए जाएंगे, उक्त जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज प्रत्येक तीन माह में इसके बचत खाते में जमा किया जावेगा।
3.	अजय कुमार मीणा पुत्र साहबलाल मीणा आयु 23 वर्ष	2,21,622/–रूपये	2,21,622/–रू 07 वर्ष के लिए जमा किए जाएंगे, उक्त जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज प्रत्येक तीन माह में इसके बचत खाते में जमा किया जावेगा।

<u>क्लेम आवेदन सं0 18/2023 हेमन्त मीणा बनाम हनुमानलाल व अन्य</u>

48– **प्रार्थी हेमन्त मीणा** की ओर से प्रस्तुत किया गया क्लेम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल (वाहन चालक) व अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल (वाहन मालिक) के विरूद्ध **1,26,463/– (एक लाख छब्बीस हजार चार सो तिरेसठ) रूपये** का अवार्ड पारित किया जाता है, जो राशि प्रार्थी हेमन्त मीणा, अप्रार्थी सं0 1 हनुमानलाल (वाहन चालक) व अप्रार्थी सं0 2 श्रवणलाल (वाहन मालिक) से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है।

49– अप्रार्थी सं0 3 बीमा कम्पनी को **pay and recover** के सिद्धान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार माना गया है। अतः प्रथमतः क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं0 3 नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 बीमा कम्पनी की रहेगी जो राशि बीमा कम्पनी बाद में वाहन सं0 आर0जे0 14 जी0बी0 9551 के चालक व मालिक अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 क्रमशः हनुमानलाल व श्रवणलाल से मय ब्याज 07.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियमानुसार वसूल करने की अधिकारी होगी।

50– प्रार्थी द्वारा पूर्व में यदि बतौर अंतरिम क्षतिपूर्ति कोई राशि प्राप्त कर ली गई हो तो वह राशि उक्त मूल क्लेम राशि में समायोजित की जावेगी तथा शेष अवार्ड राशि पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 14.09.2022 से राशि वसूल होने तक 07.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

51– अतः बीमा कम्पनी द्वारा आज दिनांक **25.03.2026** से **30 दिवस** के भीतर प्रतिकर व ब्याज की राशि इस अधिकरण के सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा बारां

में स्थित खाता सं0 3530716359 में जमा करावें जो सम्पूर्ण राशि प्रार्थी हेमन्त मीणा के बचत खाते में जमा की जावेगी।

51— उक्त दोनों क्लेम आवेदन के प्रार्थीगण को यह आदेश दिया जाता है कि वे राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने खुलवाये गये बचत खाते की पासबुक जिसमें उनके एकाउन्ट नं0, आई0एफ0सी0 कोड व आवश्यक विवरण मय फोटो की प्रतियॉ क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत करें ताकि उनको भुगतान सीधे ही उनके खाते में नियमानुसार किया जा सके।

52— इसी प्रकार विपक्षी बीमा कम्पनी को भी यह आदेश दिया जाता है कि वह उक्त दोनों क्लेम आवेदनों में दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि मय ब्याज के इस न्यायालय के खाते में जमा कराकर उसकी सूचना नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत करें ताकि संबंधित प्रार्थीगण को भुगतान इस न्यायालय के खाते से नियमानुसार किया जा सके।

(सत्यनारायण टेलर)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बारां (राज0)

53— निर्णय आज दिनांक **25.03.2026** को लिखाया जाकर खुले अधिकरण में सुनाया गया।

(सत्यनारायण टेलर)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बारां (राज0)

PRAMENDRA KUMAR GOYAL

sr. munshrim"Authenticated Document"
Digitally signed by PRAMENDRA KUMAR GOYAL
Date: 2026.03.28 14:19:21 +0530